न्यायालय तहसीलदार शिव जिला बाड़मेर

राजस्व प्रकरण मामला संख्या 76/2024 अर्न्तगत धारा 91 आर.एल.आर. एक्ट 1956

सायल **बनाम** **गैर सायल**

राजस्थान राज्य

जरिये पटवारी हल्का राजड़ाल ।

श्री हाकम पुत्र गोराम

कौम मुसलमान निवासी कानासर।

"निर्णय" **दिनांक 26.03.2025**

पत्रावली आज बमुकाम शिव में पेश हुई। गैर सायल अनुपस्थित, गैर सायल की ओर से उनके भाई उपस्थित। पत्रावली का अवलोकन किया। संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि पटवारी हल्का **राजड़ाल** ने धारा आर.एल.आर. एक्ट 91 के तहत रिर्पोट प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि गै.सा. ने मौजा **मणिहारी** के खसरा नं **698/652** रकबा **0.1425** हैक्टेयर भूमि मे से **0.0074** हैक्टेयर किस्म **वाणिज्यिक (दुकाने, रेस्टोरेंट, होटल) प्रयोजनार्थ** खातेदारी भूमि पर राजस्थान संपरिवर्तन नियम 2007 के तहत प्रतिबंधित भूमियां नियम 04 के उप नियम (e) के तहत भूमिगत पाईप लाईन से 10 मीटर की परिधि में रकबा 0.0074 हैक्टेयर पर नाजायज अतिक्रमण कर कब्जा किया हैं। अतः राजस्थान संपरिवर्तन नियम 2007 के नियम 15 में अतिचार का निष्कासन में संपरिवर्तन शर्तों के उल्लघंन करने पर गैर सायल के विरूद्ध धारा 91 आर.एल.आर. एक्ट 1956 के तहत प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर गैर सायल को जरिये नोटिस सुनवाई हेतु तलब किया गया। नोटिस तामिल होकर प्राप्त हुआ। विप्रार्थी की ओर से उनके भाई के द्वारा विप्रार्थी द्वारा हस्ताक्षरित जवाब प्रस्तुत किया, जो शामिल मिसल हों। विप्रार्थी ने अपने जवाब में अवगत करवाया कि संपरिवर्तन आदेश में किसी भी प्रकार की 10 मीटर की परिधि की शर्त नही हैं तथा न ही किसी प्रकार की पाईप लाईन में छेड़छाड़ की गयी हैं। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। हल्का पटवारी एवं भू. अभिलेख निरीक्षक गूंगा की रिपोर्ट से स्पष्ट हैं कि गैर सायल ने ग्राम मणिहारी के खसरा नम्बर 698/562 में चल रही जे.एस.डब्लु. कम्पनी की पाईप लाईन के 10 मीटर दायरे में ईटों का कमरा बना रखा हैं। कृषि भूमि का अकृषि प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन नियम 2007 के तहत प्रतिबंधित भूमियां नियम 04 के उप नियम (e) के तहत भूमिगत पाईप लाईन से 10 मीटर की परिधि में किसी प्रकार का निर्माण नही किया जा सकता हैं। अतः स्पष्ट हैं कि विप्रार्थी के द्वारा उक्त जे.एस.डब्लु. कम्पनी की पाईप लाईन के 10 मीटर की परिधि में जो कमरे का निर्माण किया गया हैं वह अनाधिकृत रूप से किया जाना प्रतीत होता हैं तथा संपरिवर्तन नियमों की अवहेलना हैं।

अतः गैर सायल को कृषि भूमि का अकृषि प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन नियम 2007 के नियम 15 के तहत संपरिवर्तन की शर्तो का उल्लघंन करने पर आर.एल.आर एक्ट 1956 की धारा 91 का उल्लंघन करने पर अतिक्रमी घोषित किया जाकर उक्त विवादग्रस्त भूमि पर से बेदखल करने के आदेश पारित किये जाते है। साथ ही वार्षिक लगान रूपये **0.12** पैसा का गुणा 50 जुर्माना राशि रूपये **06.00** पूर्णाक में **06.00** अक्षरे **छः** रूपये मात्र से आरोपित किया जाता है । जो गैर सायल से वसूल हो।

निरीक्षक भू.अ. वृत **गूंगा व हल्का पटवारी राजड़ाल** को आदेशित किया जाता है कि वह मौके पर अनाधिकृत रूप से निर्मित कमरें को बेदखली की कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें। बाद बेदखली पालना रिपोर्ट एक सप्ताह के भीतर प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित करें।

टी.आ.ए. पटवारी हल्का,निरीक्षक भू.अ. आदेश से सूचित हो तथा पत्रावली टी.आर.ए. के पास मांग कायमी हेतु भेजी जावें।

निर्णय दिनांक **26.03.2025** को सरेआम सुनाया गया।

तहसीलदार शिव

तहसीलदार शिव
जिला-बाड़मेर